



भारत सरकार  
Government of India  
खान मंत्रालय  
Ministry of Mines  
भारतीय खान ब्यूरो  
Indian Bureau of Mines

पंजीकृत पावती  
उल्लंघन पत्र  
माखुपुरा औद्योगिक क्षेत्र,  
Makhapura Industrial Area  
अजमेर.-305 002 (राजस्थान)  
Ajmer- 305 002 (Rajasthan)  
फैक्स नं 0145.2695202 फोन नं 2695165

Mine Code: 34RAJ27001

संख्या : RAJ/UDP/LEAD ZINC-01/Vol-IV

दिनांक : 05.04.2022

प्रेषित : एजेंट, राजपुरा दरीबा लेड जिंक माइन,  
मैसर्स हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, पोस्ट-दरीबा,  
तहसील-रेलमगरा, जिला-राजसमन्द (राजस्थान)

Email- sanjay.khator@vedanta.co.in, pushpendra.dhaijbhai@vedanta.co.in

विषय : Violation of provisions of Mineral Conservation & Development Rules, 2017 in respect of your **Rajpura Dariba Lead Zinc Mine** (Lease area 1142.2106 Hect.) in Rajsamand District of Rajasthan State.


महोदय,

The following provisions of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated in your above mine during the inspection made on 04.03.2022 by the undersigned in presence of Shri Abhimanyu Ogra, Mine Manager & Shri Sandeep Rajput, Geologist:

Rule No.	Nature of violation observed in detail
Rule 11(1)	The mining operations are carried out in violation of following provisions of approved Modification of Review of Mining Plan(Approved on 27.07.2021): - (i) Water & sludge was observed in haulage drive on -182mRL level during the stoping inspection. (ii) Ventilation was observed poor in NL2 Block between 300mRL to 236mRL during the stoping inspection.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों के उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के अन्तर्गत:  
(क) आपकी खदान की सारी सक्रियाएं बंद की जा सकती हैं।  
(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।  
(ग) खनन पट्टा खंडन की अनुसंशा की जा सकती है।
03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें।

भवदीय

  
05/04/2022


( डी. आर. गुर्जर )  
वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक  
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :-

- 1 खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर (ई मेल द्वारा)
- 2 निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
- 3 खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, राजसमन्द।
- 4 रक्षित पत्रावली।





  
05/04/2022  
वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक  
भारतीय खान ब्यूरो